"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 मई 2006—ज्येष्ठ 5, शक 1928

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास, कवर्धा

प्रारूप क्र. 4
[देखें नियम 5 (1)]

[म. प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और म. प्र. लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

कवर्धा, दिनांक 17 मई 2006

क्रमांक/657/अ.वि.अ./प्रवा.-1/2006.—लोक न्यासों के पंजीयक कबीरधाम जिला के समक्ष यत: कि महन्त राम बलिदास गुरु स्व. महन्त मंगलदास सर्कराकार की शाह बिहारी श्याम बिहारी जमात मंदिर, कवर्धा निवासी-कवर्धा, तह. कवर्धा, जिला-कबीरधाम ने म. प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर तारीख 30-6-2006 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए.

उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम एवं पता	:	श्री शाह बिहारी, श्याम बिहारी मंदिर, कवर्धा, जमातपारा कवर्धा
(2)	चल संपत्ति	:	एक हउला, दो नग हंडा, चार नग थाली, एक नग कढ़ाई, दो नग लोटा, पांच नग गिलास, दो नग बटुवा, दो नग गरूड़ घन्टी, दो नग आरती, दो नग घड़ी घँन्ट, दो नग नंगाड़ा तांबे का, 1 नग बाल्टी पीतल का, पांच नग कटोरी, 8 नग मलिया, कीमती तीन हजार रुपये.
(3)	अचल संपत्ति	:	1. ग्राम - कोसमंदा प. ह. नं. 24 में कुल ख. नं. 5 कुल रकबा 30.20 एकड़. 2. ग्राम - रघ्घुपारा, प. ह. नं. 30 में कुल ख. नं. 2 कुल रकबा 12.00 एकड़. 3. ग्राम - लीमो प. ह. नं. 35 में कुल ख. नं. 2 कुल रकबा 7.20 एकड़. 4. कवर्धा, प. ह. नं. 34/1 में कुल ख. नं. 2 कुल रकबा 3.25 एकड़.

प्रारूप क्र. 4

[देखें नियम 5 (1)]

[म. प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और म. प्र. लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

कवर्धा, दिनांक 17 मई 2006

क्रमांक/658/अ.वि.अ./प्रवा.-1/2006.—लोक न्यासों के पंजीयक कबीरधाम जिला के समक्ष यत: कि महन्त राम बलिदास गुरु स्व. महन्त मंगलदास सर्कराकार की राधाकृष्ण मठ मंदिर, कवर्धा, निवासी-मठ पारा, कवर्धा, तह. कवर्धा, जिला-कबीरधाम ने म. प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर तारीख 30-6-2006 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से 1 माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए.

उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

(1) लोक न्यास का नाम एवं पता : श्री राधाकृष्ण मठ मंदिर, मठ पारा, कवर्धा, जिला- कबीरधाम.

(2) चल संपत्ति : एक गाय कीमती 1500/- रु., एक नग बटुवा, एक नग कड़ाही, एक बड़ा हान्डा, एक कोपरी पीतल की, तीन नग कास की थाली, चार गिलास स्टील के, दस नग कटोरी स्टील के, एक नंगारा, एक विजय घन्ट, दो घड़ी घंटे, दो पीतल के लोटे, एक घन्टी पीतल का, एक आरती पीतल का सभी बर्तन की कीमत अंदाजन 3000/- रुपये.

(3) अचल संपत्ति :

1. ग्राम - कोसमंदा प. ह. नं. 24 में कुल खसरा नं. 07, कुल रकबा 13.32 एकड़.
2. ग्राम-रघुपारा, प. ह. नं. 30 में कुल खसरा नं. 1, कुल रकबा 5.00 एकड़.
3. ग्राम-भंडार, प. ह. नं. 5 में कुल ख. नं. 17, कुल रकबा 41.86 एकड़.
4. ग्राम-बरबसपुर, प. ह. नं. 29 में कुल ख. नं. 17, कुल रकबा 22.83 एकड़.
5. ग्राम-लालपुर प. ह. नं. 34/1 में कुल ख. नं. 1, कुल रकबा 0.60 एकड़.
6. ग्राम समनापुर, प. ह. नं. 34/2 में कुल ख. नं. 1, कुल रकबा 1.18 एकड़.
7. ग्राम-अमलीडीह, प. ह. नं. 29 में कुल ख. नं. 1, कुल रकबा 1.70 एकड़.
8. ग्राम-कोठार, प. ह. नं. 28 में कुल ख. नं. 1, कुल रकबा 2.14 एकड़.
9. कवर्धा, प. ह. नं. 34/1 कुल ख. नं. 1, कुल रकबा 0.42 एकड़.
10. कवर्धा, प. ह. नं. 34/1 में सीट क्रमांक 10 सी. भू-खण्ड नं. 66 क्षेत्रफल 1049 वर्ग मीटर आबादी प्लॉट.

प्रदीप कुमार मिश्रा,
अनुविभागीय अधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.